

न्यायालय –सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-153/2013
 संस्थित दिनांक-21/02/2013
 फाईलिंग क्र.234503004402013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

विरुद्ध

1-कमलसिंह मेरावी पिता सुखमन सिंह मेरावी, जाति गोंड, उम्र-25 वर्ष,
 निवासी-ग्राम नारना, थाना बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-ललता बाई पति स्व. बुद्धनलाल ठाकरे जाति पंवार, उम्र-85 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सरेखा, थाना बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियुक्तगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-17/08/2015 को घोषित)

1- आरोपी कमलसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के उसने दिनांक-12.12.2013 को शाम करीब 05:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत कम्पाउण्डर टोला निक्कू तिवारी के घर के सामने लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए 1277 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत संतोष को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित की एवं आहत आशीष एवं रामेश्वर को चोट पहुंचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध लाईसेंस के चलाया एवं आरोपी ललता बाई के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति से तथा बिना बीमा के वाहन को चलवाया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—12.12.2012 को फरियादी आशीष, संतोष के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम रजमा मंडई गया था और मंडई देखकर मोटरसाइकिल में बीच में बैठकर वापस संतोष के साथ घर रहा था तथा पीछे रामेश्वर कामड़े बैठा था, तभी हर्नाला चढ़ाई पर निक्कू तिवारी के घर के सामने करीब 5:30 बजे पहुंचा, उसी समय कम्पाउण्डर टोला तरफ से ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी. 50/ए 1277 का चालक कमल मेरावी ट्रेक्टर को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए आया और उनकी मोटरसाइकिल को ठोस मारा जिससे वे तीनों गिर गए और फरियादी आशीष के दाहिने पैर के घुटने तथा हाथ की कलाई में चोट आई और रामेश्वर कामड़े को सिर में और दाहिने पैर में चोट आई। आरोपी के विरुद्ध फरियादी आशीष द्वारा थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—189/12, धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर आहतगण को अस्थिभंग होने से एवं आरोपी के पास घटना के समय वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—338 मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 एवं आरोपी ललताबाई के विरुद्ध वाहन मालिक होकर बिना लायसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने को देने से एवं घटना के समय वाहन बीमाकृत न होने से मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 5/180, 146/196 का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी कमलसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 के अंतर्गत एवं आरोपी ललताबाई के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—5/180, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान संतोष, रामेश्वर, आशीष ने आरोपी कमलसिंह से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी कमलसिंह के विरुद्ध धारा—337(दो काउन्ट), 338 भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा—279 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 का विचारण

पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी कमलसिंह ने दिनांक-12.12.2013 को शाम करीब 05:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत कम्पाउण्डर टोला निक्कू तिवारी के घर के सामने लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए 1277 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
2. क्या आरोपी कमलसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध लाइसेंस के चलाया ?
3. क्या आरोपी ललताबाई ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए उक्त वाहन को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति से तथा बिना बीमा के वाहन को चलवाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत आशीष खरे (अ.सा.2), रामेश्वर कामड़े (अ.सा.1), संतोष (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपी कमलसिंह को पहचानते हैं। उक्त घटना दिनांक-12.12.2012 की शाम की है। उस समय वे रजमा मंडई से अपने घर आ रहे थे। वे तीनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और मोटरसाइकिल संतोष चला रहा था तथा वह और रामेश्वर गाड़ी में बैठे हुए थे। रास्ते में हर्नाला के पुल पर सामने से आरोपी कमलसिंह ने ट्रेक्टर चलाते हुए लाया और उन्हें ठोस मार दिया। उक्त दुर्घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी। उक्त दुर्घटना में आशीष के घुटने में अस्थिभंग हो गया था। उनके साथी रामेश्वर को घुटने में तथा संतोष को कंधे में चोट आई थी। उनका इलाज बैहर अस्पताल में तथा बालाघाट के अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उनके बयान लिये थे। उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनका कमलसिंह और ललता बाई से राजीनामा हो चुका है। साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया कि वह अब यह प्रकरण नहीं चलाना चाहता है, उसे आरोपीगण से मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त साक्षीगण के कथन में इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि घटना के समय आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित

हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाया जा रहा था।

6— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार सिंह ठाकुर (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-12.12.12 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-627 अस्पताल तहरीर के आधार पर प्रधान आरक्षक रामभजन साहू के द्वारा लेख किया गया था। आज दिनांक को वह अपने साथ थाना बैहर का रोजनामचा सान्हा रजिस्टर दिनांक-21.11.12 से 19.12.12 साथ लेकर आया है, उक्त रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-1 है, जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 (सी) है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सान्हा जांच के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 जिसका क्रमांक-189/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मोटरयान अधिनियम के तहत दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहतगण को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बैहर मुलाहिजा फार्म भरकर भेजा था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा आरोपी कमलसिंह से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-50 ए/1277 ट्रॉली एवं रजिस्ट्रेशन सहित जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-13.12.12 को संतोष की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-12.12.12 को आशीष एवं दिनांक-13.12.12 को संतोष, दिनांक-17.12.12 को शंकरलाल, नवनीत एवं दिनांक-09.02.12 को रामेश्वर के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-13.12.12 को संतोष से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार एक हीरोहोण्डा सी.डी. डिलक्स गाड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त मोटरसाइकिल संतोष के हिफाजतनामा में दे कर प्रदर्श पी-5 का दस्तावेज तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी कमलसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल को हुई क्षति के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने दुर्घटना कारित ट्रेक्टर घटना के समय किसके द्वारा चलाया जा रहा था, यह जानकारी लिखित नोटिस

प्रदर्श पी-8, वाहन मालिक को प्रेषित किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा ट्रेक्टर का विधिवत् वाहन परीक्षण करवाया था, जिसकी रिपोर्ट चालन के साथ संलग्न किया था। दिनांक-09.02.13 को मोहनलाल से साक्षियों के समक्ष आहत की बेडहेड टिकिट और एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 के माध्यम से प्राप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आहत को आए अस्थिभंग के कारण धारा-338 भा.द.वि. एवं आरोपी के पास घटना के समय वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं होने, वाहन मालिक द्वारा बिना लायसेंस चलाने वाले को वाहन चलाने को देने से एवं घटना के समय वाहन बीमाकृत न होने से मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180, 146/196 अंतिम प्रतिवेदन में बढ़ाई गई। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8- उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 में घटनास्थल लोकमार्ग के रूप में दर्शित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित ट्रेक्टर का चालन कर उसकी गलती से दुर्घटना होना बताया है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी ने दिनांक-12.12.2013 को शाम करीब 05:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत कम्पाउण्डर टोला निक्कू तिवारी के घर के सामने लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए 1277 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

9- अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा कराए चलाया जा रहा था तथा उक्त वाहन की पंजीकृत स्वामी आरोपी ललताबाई थी। इस प्रकार आरोपी कमलसिंह उक्त वाहन को बिना लायसेंस के एवं बिना बीमा कराए चलाया जाना तथा आरोपी ललता बाई के द्वारा उक्त वाहन की स्वामी होते हुए वाहन को बिना लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाना और बिना बीमा कराए चलाया जाना प्रमाणित है। इस प्रकार अभियोजन ने मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।

10- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप आरोपी कमलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान

अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी ललताबाई को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

12— आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी कमलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 1,000/-, 500/-, 1,000/-रुपये कुल राशि 2,500/-रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये) एवं आरोपी ललताबाई को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/-, 1,000/-रुपये कुल राशि 1,500/-(एक हजार पांच सौ रुपये) की अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी कमलसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15-15 दिवस तथा आरोपी ललताबाई को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1277 एवं ट्रॉली क्रमांक-एम.पी. 50 ए/1278 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार श्रीमती ललताबाई पति स्व. बुद्धनलाल ठाकरे की ओर से मुख्याखवास छगनलाल टेंभरे पिता गोंदीलाल टेंभरे निवासी-ग्राम सरेखा, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया

गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट